



उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद् रुड़की (हरिद्वार)

पता: सुनेहरा रोड (निकट-के. एल. पालीटेक्निक छात्रावास), काशीपुरी -247 667
दूरभाष : 01332-266370, 266371 फैक्स 266349 Website: www.ubter.in

सेवा में,

निदेशक/प्रधानाचार्य,
श्री देव भूमि इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी
ग्राम-मजहोन, पो-पीछा, प्रेमनगर, देहरादून।

संस्था कोड - 044

पत्र संख्या : 1009-1077 / उ.प्रा.शि.प. / ए.आई.सी.टी.ई. / सम्ब. / 2021-22 दिनांक : 25-08-2021

विषय:- डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु संस्था को शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु परिषद् द्वारा सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने विषयक।

महोदय,

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली के अनुमोदन पत्र सं० FNo. Northern /1-9330993992/2021/EOA दिनांक 07 जुलाई 2021 के क्रम में आपके संस्थान को निम्न तालिका में अंकित पाठ्यक्रम हेतु उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद्, रुड़की द्वारा सत्र 2021-22 हेतु परिषद् से निम्न शर्तों के अधीन सम्बद्धता विस्तार (Extension of Approval) प्रदान की जाती है।

Course (s)	Level	Approval Intake	Shift	Duration of Course (s)	Period of Approval
Mechanical Engineering	Diploma	60	1st	03 years	2021-22
Civil Engineering	Diploma	60	1st	03 years	2021-22
Electrical Engineering	Diploma	60	1st	03 years	2021-22

शर्तें :-

- स्वीकृत प्रवेश क्षमता से अधिक संख्या में प्रवेश किसी भी परिस्थिति में न दिये जायें।
- उपरोक्त पाठ्यक्रमों हेतु परिषद् द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या समयबद्ध पूर्ण करना संस्थान की जिम्मेदारी होगी।
- संस्थानों में इण्टरनेट की सुचारु व्यवस्था होनी अनिवार्य है।
- कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण के दौरान अभ्यर्थियों के पठन-पाठन/परीक्षा आवेदन/परीक्षा आदि के विषय में समयबद्ध सूचित करने हेतु अभ्यर्थियों के contact number संस्थान में अनिवार्य रूप से उपलब्ध होने चाहिए।
- सभी संस्थान अभ्यर्थियों के पठन-पाठन की व्यवस्था ऑनलाइन (विभिन्न माध्यम जैसे- Google Classroom, Google Hangout, Cisco Webex Meeting, You Tube Streaming इत्यादि) करावेंगे।
- कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण के दौरान प्रभावी शिक्षण व्यवस्था हेतु सभी संस्थान छात्रों की विभिन्न एकेडमिक गतिविधियों एवं परीक्षा सम्बन्धी समस्याओं के निराकरण हेतु संस्था स्तर पर शिकायत निराकरण सेल की व्यवस्था करेंगे।
- संस्थानों को उत्तराखण्ड सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का अनुपालन करना होगा।

25/8/2021

24. डिप्लोमा फार्मैसी पाठ्यक्रम संचालित करने की दशा में संस्था को फार्मैसी काउंसिल ऑफ इण्डिया से आवश्यक अनुमोदन अनिवार्य रूप से प्राप्त करना होगा।


उपरोक्त शर्तों में से किसी एक या अधिक का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में संस्था की सम्बद्धता सम्बन्धी विशेषाधिकार को कम करने अथवा समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।



(देश राज)
सचिव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- The Regional Officer, All India Council for Technical Education, Govt. Polytechnic Campus, Adjoining Directorate of Technical Education, Vikash Nagar, Kanpur, Uttar Pradesh-208002.
- 2- परीक्षा नियंत्रक, परिषद्।
3. संयुक्त सचिव, आई0आर0डी0टी0, अपर आमवाला, देहरादून।



(देश राज)
सचिव